"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 282] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 14 जुलाई 2016— आषाढ़ 23, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-33/2016/वाक/पांच (65). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15- ख की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट व्यापारियों के वर्ग को, कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट वर्ष के लिए, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 से, उक्त अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र.	व्यापारियों का वर्ग	वर्ष	धारा/नियम जिनसे छूट दी गई	निर्बन्धन तथा शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले ऐसे पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 1 करोड़ से कम है.	वित्तीय वर्ष 2014-15	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2)(क)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु दिनांक 30-11-2016 तक प्रस्तुत कर देता है.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ से कम है.	वित्तीय वर्ष 2014-15	धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ग), धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) और धारा 41 की उप-धारा (2) तथा नियम 20(2)(क)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात् छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु दिनांक 30-11-2016 तक प्रस्तुत कर देता है तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित ऑडिट रिपोर्ट की प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा.
3.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट वस्तुओं का व्यवसाय करने वाले व्यवसायी को छोड़कर, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी, जिसकी सकल वार्षिक कुल विक्रय राशि रु. 10 करोड़ या इससे अधिक है.	वित्तीय वर्ष 2014-15	धारा 21 की उप-धारा (2) के खंड (एक), (दो) एवं (तीन) तथा नियम 20(2)(क)	जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट व्यापारी देय कर राशि तथा ब्याज, यदि कोई हो, के भुगतान के पश्चात्, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 19 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के प्रावधानों के अनुसार विहित प्ररूप-18 में ऑनलाईन विवरण वित्तीय वर्ष 2014-15 हेतु दिनांक 30-11-2016 तक प्रस्तुत कर देता है तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कख के अंतर्गत यथा अपेक्षित आडिट रिपोर्ट की प्रति एवं छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 53 के उप-नियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप-50 में आडिट रिपोर्ट की प्रति वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 10-33/2016/वाक/पांच (65). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-33/2016/वाक/पांच (65), दिनांक 11-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 11th July 2016

NOTIFICATION

No. F 10-33/2016/CT/V (65).— In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts the class of dealers as specified in column (2) of the Schedule below, for the year as specified in column (3), from provisions of the said Act and Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 as specified in column (4), subject to the restrictions and conditions specified in column (5) of the said Schedule, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Class of dealers	Year	Section/Rule from which exemption granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Registered dealer, whose annual turnover is less than Rs.1crore, who deals in goods as specified in S. No. 5 of Part III of Schedule II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).	Financial year 2014-15	Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 21 and rule 20(2)(a)	When the dealer specified in column (2) after payment of due tax amount with interest, if any, files a statement online in Form-18 prescribed as per the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for the financial year 2014-15 up to 30-11-2016.
2.	Registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is less than Rs. 10 crore, except dealer, who deals in goods specified in S. No. 5 of Part III of Schedule II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)	Financial year 2014-15	Clauses (c) of sub-section (1) of Section 19, Clause (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 21and sub-section (2) of Section 41and rule 20(2)(a)	When the dealer specified in column (2), after payment of due tax amount with interest, if any, files a statement online in Form-18 prescribed as per the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for the financial year 2014-15 up to 30-11-2016 and shall furnish a copy of audit report, as required under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 before the Commercial Tax Officer.
3.	Registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 whose annual turnover is Rs. 10 crore or more, except dealer, who deals in goods specified in S. No. 5 of Part III of Schedule II of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005)	Financial year 2014-15	Clauses (i), (ii) and (iii) of sub-section (2) of Section 21 and rule 20(2)(a)	When the dealer specified in column (2), after payment of due tax amount with interest, if any, files a statement online in Form-18 prescribed as per the provisions of clause (b) of sub-section (1) of Section 19 of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 for the financial year 2014-15 up to 30-11-2016 and shall furnish a copy of audit report as

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				required under Section 44AB of the Income Tax Act, 1961 and audit report in Form-50 as specified in sub-rule (1) of rule 53 of Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006 before the Commercial Tax Officer.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-33/2016/वाक/पांच (66). — छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) की धारा 15- ख की उप-धारा (1) के खण्ड (दो) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट नियमों से, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए दिनांक 30-11-2016 तक छूट प्रदान करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	नियम जिनसे छूट दी गई (2)	निर्बन्धन तथा शर्तें (3)
1.	छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 20 के उप-नियम (2) के खण्ड (ख) के अधीन विहित प्ररूप-18 का भाग-ग	जबकि भाग-ग की जानकारी :- (क) अधिनियम की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट माल या अधिसूचना द्वारा करमुक्त माल , या (ख) अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 के अनुक्रमांक 1 एवं 2 में विनिर्दिष्ट माल, या (ग) अधिकतम खुदरा मूल्य पर दवाई, के छत्तीसगढ़ राज्य में क्रय या विक्रय से संबंधित हो.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2016

क्रमांक एफ 10-33/2016/वाक/पांच (66). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-33/2016/वाक/पांच (66), दिनांक 11-07-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 11th July 2016

NOTIFICATION

No. F 10-33/2016/CT/V (66). — In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 15-B of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), the State Government, hereby, exempts from the rules as specified in column (2) of the Schedule below, subject to the restrictions and conditions specified in column (3) of the said Schedule, for the finacial year 2014-15 upto 30-11-2016, namely :-

SCHEDULE

S. No.	Rule from which exemption is granted	Restrictions and conditions
(1)	(2)	(3)
1.	Part-C of Form-18 prescribed under clause (b) of sub-rule (2) of rule 20 of the Chhattisgarh Value Added Tax Rules, 2006	When the information of Part-C is related with purchase or sale within Chhattisgarh State, of :- (a) Goods specified in Schedule-I of the Act or goods exempted by notification, or (b) Goods specified in S. No. 1 & 2 of Part-III of Schedule-II of Act, or (c) Medicine at maximum retail price.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016 .